



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय), चण्डीगढ़
Indian Audit & Accounts Department
Office of The Principal Director General of Audit (Central), Chandigarh



क्रमांक:पीडीए/चिकित्सा डिपेंडेंट/का.स्था-11/2025-26/245

दिनांक 05/11/2026

कार्यालय आदेश

विषय: चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अपने ऊपर आश्रित माता-पिता आदि के संबंध में कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए उद्घोषणा।

- (1) CS(MA) नियम अध्याय -4, पैरा-1 के अंतर्गत दी गई तालिका एवं केंद्रीय सेवाओं के अध्याय 3' परिवारों के लिए रियायतें (चिकित्सा उपस्थिति नियम) के 2 (ए) स्पष्टीकरण (i) तथा केंद्र सरकार के पत्र संख्या जी. एम. एच. एंड. एफ. डब्ल्यू.ओ.एम.न.एस 11012/2/2016-सी.जी.एच.एस.(पी.)तिथि 08.11.2016 आश्रितों का ब्यौरा एवं उनकी आयु का विवरण निम्न तालिका में दिया हुआ है:-

(i)	Son	Till he starts earning or attains the age of 25 years, whichever is earlier.
(ii)	Daughter	Till she starts earning or gets married, irrespective of the age limit, whichever is earlier.
(iii)	Son suffering from any permanent disability ² of any kind (physical or mental)	Irrespective of age limit.
(iv)	Dependent divorced/abandoned or separated from their husband/widowed daughters and dependent unmarried/divorced/abandoned or separated from their husband/widowed sisters.	Irrespective of age limit.
(v)	Minor brother's.	Upto the age of becoming a major.

- (2) वही परिवारजन अधिकारी/कर्मचारी पर आश्रित माने जायेंगे जिनकी मासिक आय रु.9000/- प्रतिमाह (सभी स्तरों) से कम है तथा वे सरकारी अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके परिवार के साथ रहते हैं।

अतः सभी सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त के संबंध में उद्घोषणा निर्धारित प्रोफार्मा (संलग्न) में पूर्ण रूप से भरकर दिनांक 16.01.2026 तक कार्यालय स्थापना अनुभाग-II में भेज दें। इसके पश्चात प्राप्त होने वाली उद्घोषणा साधारण परिस्थितियों में स्वीकार नहीं की जाएगी।

यह कार्यालय आदेश निदेशक प्रशासन की अनुमति से जारी किया जा रहा है।

5/1/-
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (का.स्था.)-II

पृष्ठांकन स.का.स्था./चिकित्सा प्रतिपूर्ति/2025-26/246-258

दिनांक 05-01-26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

1. प्रधान निदेशक के सचिव
2. निदेशक, प्रशासन के निजी सचिव
3. निदेशक अप्रत्यक्ष कर के निजी सचिव
4. निदेशक केंद्रीय व्यय के निजी सचिव
5. वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रत्यक्ष कर / अप्रत्यक्ष कर / केंद्रीय व्यय
6. वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, आई.टी.ए. प्रशासन-1 & 2, EDP & E-HRMS अनुभाग
7. सूचनापट

(Signature) 5/1/2026
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (का.स्था.)-II

OFFICE THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL), CHANDIGARH

कैलेंडर वर्ष 2026 में चिकित्सा रियायत लेने के लिए आश्रित माता-पिता, बहनों व भाईयों की उदघोषणा

Declaration of dependent parents, sisters and brothers for availing Medical Concession in the calendar year 2026.

1.	सरकारी कर्मचारी का नाम, पदनाम तथा निवास स्थान का पता Name, Designation and Residential Address of the Government Servant:	
2.	आश्रित/आश्रितों का नाम, संबंध एवं आयु Name of dependent/dependents, relationship with them and age	
3.	आश्रित/आश्रितों की आय तथा आय का स्रोत Income and source of income of dependent/dependents	
4.	क्या आश्रित माता-पिता सेवानिवृत्त हैं, यदि हैं तो मूल मासिक पेंशन (कम्यूट कराने से पहले) Whether the dependent parent is retired, if so, basic monthly pension (before commutation)	
5.	स्थान का नाम जहां आश्रित रह रहा है/रहे हैं तथा जिसके साथ रहता/रहती/रहते हैं Name of place where dependent(s) resides and with whom(s) resides	
6.	स्थान का नाम जहां सरकारी कर्मचारी (आवेदक) का परिवार रहता है Name of the place where the family of the Government servant (applicant) resides	
7.	क्या सरकारी कर्मचारी (आवेदक) अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र/पुत्री है। यदि वह अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र/पुत्री नहीं है तो निम्नलिखित सूचना दें Whether the Government servant (applicant) is the only son/daughter of his/her parents. If he/she is not the only son/daughter of his/her parents, then give the following information	

क्र.सं. S.No	भाई/भाईयों/बहन/बहनों के नाम Name of Brother/Brothers/Sister/Sisters	ज्येष्ठ/कनिष्ठ elder/younger	मासिक आय/व्यवसाय तथा आय के स्रोत Monthly income/business and sources of income

8	सरकारी कर्मचारी के अन्य भाई/बहन माता-पिता की मदद क्यों नहीं करते हैं। Why other brothers/sisters of the Government servant do not help the parents.	
9	यदि मां विधवा है तो क्या उसके माता-पिता चल/अचल संपत्ति उसके नाम छोड़ गए थे, ब्याज खेतिहर भूमि से आय के रूप में कुछ आय है, यदि हां तो मासिक आय की राशि लिखें। If the mother is a widow, whether her parents had left any movable/immovable property in her name, any income by way of interest, from agricultural land, if so, mention the amount of monthly income.	
10.	क्या अन्य सरकारी सेवा में कार्यरत भाई/बहन ने अपने नियोक्ता को ऐसा घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया है। Whether brother/sister employed in other Government service has submitted such declaration to his/her employer.	

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त दिया गया विवरण मेरे पूर्ण ज्ञान और विश्वास में सत्य एवं सही है।
मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे माता-पिता/भाई/बहन मेरे परिवार के साथ

(स्थान का नाम) में रहते हैं/रहता/रहती है।

I declare that the particulars given above are true and correct to the best of my knowledge and belief. I also certify that my parents/brothers/sisters live with my family at _____ (name of the place)

Signature of Applicant

Section

HRCDA/PUCDA

Mob

